प्रवेश और विनियमन और फीस का नियतन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
(समिति का गठन) नियमावली 2008
प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा

संख्या–598/प्र0फी0नि0स0/ /2010 लखनऊः दिनांक 19 अक्टूबर ,2010

आदेश

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली 2008 की धारा–3 (1) के अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या–2463/2008–सोलह–1–5 (डब्ल्यू–48) / 2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्कमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. समिति द्वारा वर्ष 2009–10 हेतु तीन पी0जी0डी0एम0/पी0जी0डी0बी0एम0 संचालित संस्थाओं का प्रक्रियानुसार शैक्षिक शुल्क निर्धारित किया गया था। आदेश सं0 3459/2009–सोलह–1–1 (24)/ 2004 टी0सी0 दिनांक 21 अक्टूबर 2009 द्वारा गौरहरि सिंघानिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च कानपुर में पी0जी0 डी0बी0एम0 पाठ्यक्रम का शुल्क रू0 91,900.00 महार्षि इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट नोयडा में रू0 91,600.00 एवं बिरला इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोयडा में शुल्क रू0 1,11,700.00 निर्धारित किया गया था तथा उन संस्थाओं को अवगत करा दिया गया था।

सभी निजी संस्थाओं में वर्ष 2010–11 में जहाँ पी0जी0डी0 एम0/पी0जी0 डी0बी0एम0 पाठ्यक्रम संचालित है, के शुल्क निर्धारण के लिए पुनः दिनांक 11.08.2010 को समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करा कर समिति द्वारा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में संचालित ए0आई0सी0टी0 द्वारा मान्यता प्राप्त पी0जी0डी0 एम0/पी0 जी0 डी0बी0एम0 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण हेतु अपना प्रस्ताव/लेखा–विवरण दिनांक 31.08.2010 तक समिति कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी ताकि शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जा सकें। विज्ञापन में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया कि दिनांक 31.08.2010 तक जिन संस्थाओं के निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव/लेखा विवरण प्राप्त नही होगे, उनके शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में समिति गुण दोष के आधार पर शुल्क निर्धारण के लिए बाध्य होगी।

3. उपरोक्त विज्ञापन की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात भी कोई प्रस्ताव समिति कार्यालय मे प्राप्त नही हुए जिससे शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकें। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी संस्थानों में जिनमें पी0जी0 डी0 एम0 /पी0जी0डी0बी0एम0 पाठ्यकम संचालित किये जा रहे हैं तथा जिन्होने अपना लेखा विवरण/प्रस्ताव अभी तक समिति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है उनमें चल रहे पी0जी0डी0एम0/पी0जी0डी0बी0एम0 पाठ्यकमों में पूर्व में निर्धारित शुल्क के आधार पर व उनमें से जो न्यूनतम शुल्क की धनराशि तय की गयी थी, को समस्त संस्थानों जिनमें पी0जी0 डी0 एम0/पी0जी0डी0बी0एम0 पाठ्यकम चल रहें है शुल्क के रूप में निम्न विवरण के साथ निर्धारित की जाती है:–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
1.	पी0जी0डी0एम0	रू0 91,600.00
2.	पी0जी0डी0बी0एम0	रू0 91,600.00

4. प्रस्तर 3 में निर्धारित शुल्क शैक्षिक सत्र 2009–10 के लिए निर्धारित किया गया था यही शुल्क शैक्षिक सत्र 2010–11 के लिए भी मान्य होगा एवं निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त शुल्क सम्मिलित है।

5. इस प्रकार निर्धारित शुल्क उन समस्त निजी संस्थानों में जिनमें पी0जी0 डी0 एम0/पी0जी0डी0बी0एम0 पाठ्यकम चल रहे है उन सस्थानों में सत्र वर्ष 2010–11 में प्रवेशित छात्रों से चार्ज किया जायेगा। यह भी सूचित है कि उक्त निर्धारित शुल्क के सापेक्ष यदि किसी संस्था को कोई अभिव्यक्ति है तो संस्था लेखा–विवरण के साथ समिति के समक्ष अपना प्रस्ताव शुल्क निर्धारण हेतु प्रस्तावित कर सकती है।

6 समस्त निजी संस्थायें जिनमें पी0जी0डी0एम0/पी0जी0डी0बी0एम0 पाठ्यकम चल रहे है को निर्देश दिये जाते है कि शैक्षिक सत्र 2010–2011 में प्रवेशित छात्रों से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त निर्धारित व्यवस्था अनुसार ही आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं पाठ्यकमवार शुल्क अपनी बेवसाइट पर डिसप्ले करने की व्यवस्था करें। समिति यह भी निर्देशित करती है कि उक्त शुल्क की दरें समिति के अधिकृत बेवसाइट (www.afrcup.in) पर डिस्प्ले किया जाये।

<u>वर्ष 2010–11 में स्थापित नवीन निजी शिक्षण संस्थानों में संचालित पी0जी0डी0एम0/ पी0जी0 डी0बी0एम0 पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण</u>

7. ऐसी नई स्थापित निजी शिक्षण संस्थाये जिनके पी0जी0डी0 एम0 /पी0जी0डी0बी0एम0 विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2010–11 से आरम्भ हो रहे हैं, और जिनके द्वारा इस कारण शुल्क सम्बंधी अभिलेख समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सम्भव नही हो पा रहा है, उन पर भी प्रस्तर 3 एवं 4 में दर्शाया गया शुल्क लागू होगा। ऐसी संस्थाओं द्वारा शैक्षिक सत्र 2010–11 में प्रवेशित छात्रों से प्रस्तर 3 एवं 4 में दर्शाया गया निर्धारित शुल्क ही लिया जाय एवं संस्था पाठ्यक्रमवार शुल्क अपने बेवसाइट पर डिस्प्ले करना सुनिश्चित करें। इन संस्थाओं द्वारा जब भी संम्भव हो अपने लेखा–विवरण सहित शुल्क निर्धारण समिति के समक्ष शुल्क निर्धारण की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दे सकते हैं।

(यू0एस0 तोमर)
सदस्य
कुलसचिव,
गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(अरविन्द नारायण मिश्र)
सदस्य
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन

(वृन्दा सरूप)
अध्यक्ष
प्रमुख सचिव
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त निजी संस्थानों (जिसमें पी0जी0डी0एम0/पी0जी0डी0बी0एम0 पाठ्यक्रम संचालित है, जिन्होने शुल्क निर्धारित नहीं कराया है) के निदेशक/प्राचार्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कुलसचिव, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग।
5. समस्त जिला अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 वी0एस0 सिंह)
सचिव